

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।  
कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- 6/11/18

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजनान्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-13/2017-18 के ग्रुप सं०-01, 02 एवं 03 में प्राप्त निविदा एवं घटनोत्तर परिमाण विपत्र के अनुमोदन के संबंध में।  
प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-271/वि० दिनांक-27.10.2018  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजनान्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-13/2017-18 के ग्रुप सं०-01, 02 एवं 03 में 3 storied सामुदायिक शौचालय (18 x 10 = 180 no/ग्रुप) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा आमंत्रण सूचना के सभी 3 ग्रुपों में एकल निविदा प्राप्त हुई है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह निविदा तीसरी बार आमंत्रित है, तथा पूर्व की निविदाओं में किसी निविदाकार द्वारा निविदा नहीं दिया गया था। वर्तमान निविदा में तीनों ग्रुप में प्राप्त एकल निविदाकारों का निविदा कागजात मूल्यांकन के उपरान्त मान्य पाया गया है।

निविदा आमंत्रण के पूर्व परिमाण विपत्र का अनुमोदन नहीं कराया गया था। फलतः विभागीय पत्रांक-874 दिनांक-13.07.2018 द्वारा परिमाण विपत्र की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा 3 storied सामुदायिक शौचालय (6 x 3 = 18) हेतु मॉडल प्राक्कलन प्रचारित किया गया है, जिसमें प्रति सीट राशि 63,000/- रुपये मात्र है।

समर्पित परिमाण विपत्र की राशि (6 x 3 x 10 = 180 seat के लिए) 1,20,73,390/- मात्र है, अर्थात् प्रति सीट 67,074/- रुपये मात्र आती है, जो कि मॉडल प्राक्कलन से अधिक है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक-871 दिनांक-27.10.2018 द्वारा अंकित किया गया है कि बढ़ोत्तरी राशि का वहन नगर निगम मद से किया जायेगा।

तदालोक में समर्पित परिमाण विपत्र के जाँचोपरान्त अधीक्षण अभियंता, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बोरिंग/सबमरसेबुल पम्प मद का कार्य हटाते हुए कुल 6 x 3 x 10 = 180 seat के लिए परिमाण विपत्र की राशि 1,10,71,400/- रुपये मात्र आती है, का अनुमोदन किया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के उक्त वृद्धि राशि का वहन नगर निगम द्वारा वहन करने के लिखित पत्र के आलोक में 1,10,71,400/- रुपये मात्र प्रति ग्रुप के लिए परिमाण विपत्र घटनोत्तर अनुमोदित किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सामुदायिक शौचालय के परिचालन के लिए जलापूर्ति अतिआवश्यक है, अन्यथा उसकी उपयोगिता नहीं है। फलतः यदि बोरिंग/सबमरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य यदि नगर निगम अपनी निधि से करता है तभी सामुदायिक शौचालय भवन का निर्माण कराया जाय अन्यथा नहीं। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही उक्त कार्य हेतु निविदा के ग्रुप सं०-01, 02, एवं 03 में एकल निविदा प्राप्त होने तथा तृतीय बार आमंत्रित रहने के आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-3162(S) दिनांक-09.05.2016 एवं यथा संशोधित अधिसूचना सं०-7521(S) दिनांक-28.09.2016 के आलोक में निविदा आमंत्रण सूचना सं०-13/ 2017-18 के ग्रुप सं०-01, 02 एवं 03 में एकल निविदाकार Y.P Engineering (Prop- Rahul) की निविदा तकनीकी बिड में सफल की जाती है एवं उक्त तीनों ग्रुपों (ग्रुप सं०-01, 02 एवं 03) का वित्तीय बिड खोलकर समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।